परिशिष्ट का प्रपत्र

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक-600 के प्रश्नांश "क" की जानकारी।

बैठक दिनांक - 5-12-2016 सदस्य - श्री राजकुमार मेव

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक,सहकारी संस्थायें,म.प्र.

क्रमांक/साख/173/04/4662 भोपाल,दिनांक 8.10.04

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक
मर्यादित, (समस्त) म.प्र.

विषयः—प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का पुर्नगठन ।

संदर्भः—पत्र क्र./साख/एस.एस./91/6575,दि. 11.12.91 एवं पत्र क्र.साख/एस.एस./92/2817, दि. 6.8.92 ।

प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की आर्थिक रूप से सक्षम बनाये जाने हेतु यह आवश्यक है कि समितियों का गठन इस प्रकार से किया जावे ताकि समितियों के कार्य व्यवसाय से प्राप्त होने वाले मार्जिन से समिति के संचालन हेतु व्यय की प्रतिपूर्ति कर सकें ।

प्राथमिक कृषि साख समितियों के पुर्नगठन के संबंध में प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक,जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के प्रबंधक एवं विभागीय अधिकारियों से विस्तृत विचारविमर्श करने के उपरांत निम्नानुसार न्यूनतम मापदण्ड निर्धारित किये जाते है :-

(1) प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के का न्यूनतम ऋण व्यवसाय रू. 35.00 लाख होना चाहिये ।
(2) प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के गठन हेतु न्यूनतम 10 कि.मी. की परिधी का कार्यक्षेत्र, 5000 हे.कृषि रकबा, 1000 सदस्य संख्या होना चाहिये ।

उपरोक्त मापदण्डों के आधार पर अपने जिले की समितियों के कार्य व्यवसाय का आंकलन कर ऐसी समितियॉं जो उक्त मापदण्ड के अंतर्गत नहीं आती हैं उन्हें अन्य समितियों में विलय करने की कार्यवाही की जावे । यहां यह भी विशेष रूप से ध्यान रखा जावे कि यदि किसी समिति का ऋण व्यवसाय रू. 35.00 लाख से कम का है किन्तु यदि आगामी दो वर्ष में ऋण व्यवसाय में वृद्धि की संभावना हो तो ऐसी समिति का पुर्नगठन नहीं किया जावे ।

जिन प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं का वर्तमान में उक्त वायबिलीटी नॉर्मस से अधिक है उनका पुर्नगठन किया जाना आवश्यक नहीं है ।

उपरोक्त मापदण्ड के आधार पर आपके जिले की समितियों के पुर्नगठन की विस्तृत जानकारी तैयार कर दि. 30.10.04 तक संभागीय संयुक्त पंजीयक के माध्यम से इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जावे ।

(वि.गो.धर्माधिकारी)
आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थायें,मध्यप्रदेश

क्रमांक/साख/विधि/173/04/4662 भोपाल,दिनांक 08.10.04

प्रतिलिपिः—

1. मुख्य महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक,मर्या.भोपाल ।
2. प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य सहकारी बैंक मर्या.भोपाल ।
3. समस्त संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थायें,म.प्र.।
4. समस्त उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें,म.प्र.।
5. सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

अनुभाग अधिकारी
म० प्र० शासन,
सहकारिता विभाग

अपर आयुक्त
सहकारिता, म.प्र.

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थायें,मध्यप्रदेश